प्रेस विज्ञप्ति

24.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने हरिप्रसाद जयन्ना और गजानना वाडेयर के नाम पर लगभग 1.66 करोड़ रुपये की कृषि भूमि और एलआईसी पॉलिसियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स हर्षा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

इस मामले में, पीएमएलए जांच एफआईआर संख्या 0137/2017 दिनांक के आधार पर शुरू की गई थी। 15.04.2017 को, सत्यबोध खसनीस उर्फ हर्षा, संजीव खसनीस, श्रीकांत खसनीस और अन्य के खिलाफ कालाघाटगी पुलिस स्टेशन, धारवाड़ उपमंडल, धारवाड़ में विभिन्न व्यक्तियों से उच्च ब्याज दरों का वादा करके धन एकत्र करने और उसी पर डिफ़ॉल्ट करने के लिए मामला दर्ज किया गया।

ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी सत्यबोध श्रीनिवासराव खानसिस, संजीव श्रीनिवासराव खानसिस और श्रीकांत श्रीनिवासराव खानसिस ने अपनी कंपनियों, मेसर्स हर्षा लाइफ लाइट और मेसर्स हर्षा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2016-17 के बीच आम निवेशकों से भारी मात्रा में धन जुटाया था। उन्होंने निवेशकों को निवेशित पूंजी पर 4% से 6% प्रति माह तक के अत्यधिक रिटर्न का वादा किया था। जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने आम निवेशकों से जुटाए गए धन का उपयोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग, फिल्म निर्माण और अन्य अज्ञात उद्देश्यों के लिए किया और निवेशकों को 22.58 करोड़ रुपये की राशि वापस नहीं की।

इसके अलावा, जांच में पता चला कि फिल्म निर्देशकों में से एक, पवन कुमार, जिसने आरोपियों से उनकी कंपनियों के माध्यम से धन प्राप्त किया था, ने उस धनराशि का एक हिस्सा अपने पिता गजानना वाडेयर के नाम पर एलआईसी पॉलिसी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था, और दूसरे फिल्म निर्देशक हरिप्रसाद जयन्ना ने आरोपियों से नकद में प्राप्त धनराशि का उपयोग अज्ञात उद्देश्यों के लिए किया था, जिसके कारण उनकी संपत्तियों, अर्थात् गजानना वाडेयर के नाम पर 1.31 करोड़ रुपये मूल्य की एलआईसी पॉलिसी और हरिप्रसाद जयन्ना के नाम पर 35 लाख रुपये की अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।